तत्काल

संख्या-11013/6/2006-स्थापना (क)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 31 अगस्त, 2006

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन से संबंधित निषेध संबंधी अनुदेश ।

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 22-क की ओर ध्यान आमंत्रित करने का निदेश हुआ है जिसमें यह प्रावधान है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम करने के लिए नियुक्त नहीं करेगा ।

2. यह बात राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित संविधान के भाग-IV में उल्लिखित है कि राज्य, विशेष रूप से अपनी नीति यह सुरक्षित करने की ओर अग्रसर करेगा कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को जीविका के पर्याप्त साधन होने का समान रूप से अधिकार हो और बच्चों को स्वस्थ ढंग से और स्वतंत्रता तथा सम्मान की दशाओं में विकसित होने के लिए अवसर तथा सुविधाएं दी जाएं तथा बचपन और युवावस्था शोषण से तथा नैतिक और भौतिक उपेक्षा से संरक्षित हो। केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों ने इन सिद्धांतों के अनुसरण में, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न उपाए किए हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आर्थिक और सामाजिक दशाओं को सुधारने तथा उन्हें विद्यालयों में जाने के लिए प्रोत्साहित करने और आने वाले कल के लिए प्रबुद्ध नागरिक बनाने की दृष्टि से, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों द्वारा उनकी स्थिति में और सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य के अनुसरण में बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 भी अधिनियमित किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस अधिनियम की अनुसूची में दिनांक 10.7.2006 की अधिसूचना सा.आ. 1029(अ) द्वारा और संबर्धन कर निम्नलिखित व्यवसाय जोड़ दिए हैं अर्थात् :-

उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग क में "व्यवसाय" शीर्षक के अंतर्गत मद (13) तथा उससे संबद्ध प्रविष्टि के उपरांत निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ जोड़ दी जाएंगी, अर्थात्:-

"(14) घरेलू कामगारों अथवा नौकरों के रूप में बच्चों का नियोजन;
(15) ढाबों (सड़क के किनारे के भोजन करने के स्थान), रेस्तरों, होटलों, मोटलों, चाय की दुकानों, सैरगाहों, स्पास अथवा मनोरंजन के अन्य स्थानों पर बच्चों का नियोजन।"

उपर्युक्त अधिसूचना 10.10.2006 से प्रभाव में आएगी और इसमें (20,000 रुपए तक के) जुर्माने अथवा एक वर्ष तक के कारावास के अथवा दोनों के दाण्डिक प्रावधान हैं ।

-----2/-

4. उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित अधिसूचना जो 10.10.2006 से प्रभाव में आएगी, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन आचरण नियमों का न केवल उल्लंघन ही होगा बल्कि उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत यह एक अपराध भी होगा । इन अनुदेशों का सरकारी कर्मचारियों द्वारा पूरी से पालन किया जाना चाहिए और किसी उल्लंघन की रिपोर्ट किए जाने की स्थिति में ऐसे किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध आचरण नियमों का उल्लंघन किए जाने के लिए आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई और साथ ही विधिक कार्रवाई की जाए ।

5. तदनुसार सभी मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों से उपर्युक्त अधिसूचना के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने का अनुरोध है और इस संबंध में किसी सरकारी कर्मचारी की ओर से किसी उल्लंघन का पता लग जाने की स्थिति में, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 22क का उल्लंघन करने के लिए और उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार भी ऐसी किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाए ।

डी० पी० खत्री

(डी. पी. खत्री)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
2. लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/संसदीय कार्य मंत्रालय ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय/उप-राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय ।
5. भारतीय निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
6. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
7. कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली ।
8. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली ।
9. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के मुख्य सचिव।
10. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय ।
11. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, और गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग ।
    (200 अतिरिक्त प्रतियां)

डी० पी० खत्री

(डी. पी. खत्री)

अवर सचिव, भारत सरकार